तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
20/7/21	संलग्न नक्शा अनुसार सीमाज्ञान कर पत्थरगढ़ी हेतु प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य। अतः प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखकर न्यायालय में सुनाया जायेगा। निर्णय हेतु ~~1/8/21~~ 29/7/21 को पेश हो। (हस्ताक्षर) 20/7/21 उपखण्ड अधिकारी खींवसर (नागौर)
29/7/21	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 128 LRA के तहत स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली नियमानुसार पूर्ण कर बाद मियाद दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी खींवसर (नागौर)

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि मौजा करणू के खेत खसरा नबंर /599 रकबा 34.02 बीघा का मोके पर रेकर्ड अनुसार सही नाप किया जाकर मोके पर पुलिस दाद के साथ पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमावें।

प्रार्थी का प्रा.पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस से वास्ते जबाब । बाबत् तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के नोटिस बाद तामिल प्राप्त, बावजुद पुस्थित रहने पर इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 01 कि फ से श्री शिवराज भाटी ने वकालातनामा प्रस्तुत किया । इनको जबाब प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु र्प्त अवसर देने के बावजूद भी जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर इनका जबाब प्रार्थना बंद या जाकर बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई।

विद्वान अधिवक्तागण प्रार्थी की एक पक्षीय बहस समायत की गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने पनी बहस में प्रार्थना पत्र के मुख्या बिन्दुओं को दोहारते हुए कथन किया की हमारे मौजा करणू के त खसरा नबंर 950/599 का सीमाज्ञान किया जाकर पत्थरगढी पुलिस इमदाद के साथ किया ने के आदेष फरमावें। क्योंकि पूर्व तहसीलदार खींवसर के आदेष दिनांक 27.06.2019 के द्वारा परोक्त भूमि को मौके पर नापचौप करवाया था मगर अप्रार्थीगण इसे मानने को इकांर कर दिया था विवाद शुरू कर दिया।

अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि मौके पर राजस्व रेकर्ड अनुसार नाप चौप कर पत्थरगढी रवाने हेतु तहसीलदार खींवसर को मौका कमिश्नर नियुक्त कर उक्त पत्थरगढी करवाने का श्रम रावें हम तहसीलदार खींवसर की मौका कमिश्नर फीस हम देने के लिए तैयार है।

पत्रावली पर मौजुद रेकर्ड से प्रार्थी उक्त खसरान का रिकोर्डेड खातेदार है और Rajasthan and Revenue Act 1956 की धारा 128 सपठित धारा 111 (Raj. Land Rev. Act) एवं Rule 34 Raj. and Rev. (Land Record Rules) 1957 के अनुसार खातेदार अथवा गैर खातेदार काश्तकार पने खेताय का सीमांकन करवाकर सीमा चिन्ह स्थापित करवा सकता है। तथा सीमाज्ञान हो जाने । अपनी आराजी के पड़ोसीयों से रोज रोज के विवाद से भी नीजात मिल जायेगी। दोनो पक्षों में ाठों को लेकर रोज रोज के विवाद भी नहीं होगा । अतः शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु एवं उक्त भी समस्याओं का निराकरण हेतु प्रार्थी का प्रा.पत्र स्वीकार कर विवादग्रस्त माठों का सीमाज्ञान रवाकर पत्थर गढी कराना मेरी राय में उचित है

अतः पत्रावली पर मौजुद रेकर्ड, दस्तावेजात एवं बहस के आधार पर प्रार्थी का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 128 एलआरएक्ट को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार खींवसर को यह आदेश देया जाता है की :–

आदेश

अतः तहसीलदार खींवसर को आदेश दिया जाता है की नियमानुसार सींमाकन एवं पत्थरगढी की प्रार्थी की खातेदारी के मौजा करणू के खेत खसरा नबंर 950/599 रकबा 34.02 बीघा मौके पर रेकर्ड अनुसार सीमाज्ञान किया जाकर पत्थरगढी पुलिस इमदाद के साथ किया जाने के आदेश दिये जाते है।

नोट उक्तरोक्त खसरान पर किसी भी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो इस आदेश की पालना की जावें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

राजकेश मीना RAS
उपखण्ड अधिकारी
खींवसर

उपखण्ड अधिकारी
खींवसर (नागौर)

उक्त निर्णय आज दिनांक 26.07.2021 को सरे इजलास सुनाया गया ।

राजकेश मीना RAS
उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
खींवसर (नागौर)